No.1/4/2018-Coord.
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 23rd August, 2018

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
4. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
5. Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

Subject: Summary Record of discussions of 105th Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 25.7.2018 at 3:00 P.M.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 104th meeting **of** the National Commission for Scheduled Tribes was held on 25.7.2018 at 3:00 P.M in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(S.P Meena)
Assistant Director

Copy for necessary action, a copy of the Summary Record of discussions of 105th meeting of NCST is enclosed. The action taken report in the matter may be intimated to Coord. Section by 14.09.2018.

(i) Deputy Secretary (RU-I & II)
(ii) Under Secretary (Estt.)
(iii) Assistant Director (RU-II & Coordination)
(iv) Assistant Director (RU-I & OL)
(v) Assistant Director (RU-III & Admin)
(vi) Research Officer (RU-IV)

Copy for information:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PA to Hon'ble Member (Shri HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member (Shri HCV), NCST
5. PS to Hon'ble Member (Smt. MCI), NCST
6. Sr.PPS to Secretary, NCST
7. PA to Joint Secretary, NCST
8. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
9. NIC, NCST for uploading on the website.

सत्यमेव जयते

No 1/4/2018-समन्वय.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

छठा तल, 'बी' विगं, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांक: 23 अगस्त, 2018

सेवा में,

1. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष,
2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष,
3. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य,
4. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य,
5. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य,

विषय: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 25.7..2018 को 3:00 बजे सम्पन्न 105वीं बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का उल्लेख करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग की 104वीं बैठक आयोग के सम्मेलन कक्ष, लोकनायक भवन, नई दिल्ली मे दिनांक 25.7..2018 को 3:00 बजे सपन्न हुई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई। बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

भवदीय,

(एस.पी.मीना)
सहायक निदेशक

आवश्यक कार्यवाही हेतु 105वीं बैठक की एक प्रति सलग्न है । इस संबंध में कार्यवाही रिपोर्ट दिनांक 14/09/2018 तक समन्वय एकक को भेज दी जाये ।

1. उप सचिव (अनुसंधान एकक– I & II)
2. अवर सचिव (स्थापना)
3. सहायक निदेशक, (अनुसंधान एकक– II एवं समन्वय एकक)
4. सहायक निदेशक, (राजभाषा एवं अनुसंधान एकक–I)
5. सहायक निदेशक (प्रशा. एवं अनुसधान एकक– III)
6. अनुसंधान अधिकारी (आर.यू–IV)

प्रतिलिपि, 105वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित:

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य (श्री एच.के.डी) के निजी सहायक
4. माननीय सदस्य (श्री एच.सी.वी) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य (श्रीमती एम.सी.आई) के निजी सहायक
6. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव के निजी सहायक
8. निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/भुवनेश्वर/जयपुर/रायपुर/रांची/शिलांग।
9. आयोग की एनआईसी वेबसाइट पर डालने हेतु।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 105वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त

(फाईल सं. 1/5/2018–समन्वय)

समय : 3.00 बजे

दिनांक : 25.7.2018

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
4. श्री राघव चंद्रा, सचिव
5. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
6. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
7. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
8. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक
9. श्री आर.के दुबे, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्य सूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

कार्यसूची मद सं0 1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 की धारा 3 में संशोधन पर विचारण–संबंधित मद।
Agenda Item No.1	Consideration of Amendment of Section 3 of the Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) {PoA} Act, 1989-views-reg.

(MTA/ 3/ PoA Act, 1989/2018/RU-II)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम, 2012 की संगत धारा में विनिर्दिष्ट आरोपी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित बच्चों को शिकार बनाए जाने (यह जानते हुए कि वह बच्चा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है) पर दण्ड देने एवं वित्तीय क्षतिपूर्ति खिलाने के दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 की धारा 3 को संशोधित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रस्ताव पर इस आयोग की टिप्पणियां मांगी है। पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत यौन अपराधों एवं दंड का प्रावधान पृष्ठ संख्या 3 कोर पर उपलब्ध है। ऐसा करने के लिए वर्तमान उपधारा (vक) के पश्चात् निम्नुसार उपधारा (vख) को अंर्तस्थापित करते हुए अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 3(2) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

"(vख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित बच्चे के विरूद्ध बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा (पॉस्को) अधिनियम, 2012 की संगत धारा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई भी अपराध कारित करना (यह जानते हुए कि वह बच्चा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है)।"

1.2 उक्त प्रस्तावित उपधारा (vख) से देखा जा सकता है कि कोई भी दंड प्रावधानित नहीं है। प्रस्तावित उपधारा (vख) को निम्नानुसार शब्दबद किया जाए:–

"(vख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित बच्चे के विरूद्ध बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा (पॉस्को) अधिनियम, 2012 की संगत धारा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई भी अपराध कारित करना (यह जानते हुए कि वह बच्चा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है) बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा (पॉस्को) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट दण्ड से दंड़ित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।"

1.3 जैसा कि ऊपर उल्लिखित है अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली 1995 के अनुलग्नक–I में भी पारिमाणिक संशोधन के लिए प्रस्ताव किया जाता है जो अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न अपराधों के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति निर्धारित करता है ताकि पॉस्कों अधिनियम की संगत धारा के अंतर्गत संबंधित अपराध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के विरूद्ध अपराधों के लिए उचित राहत राशि प्रयोज्य की जाती है।

1.4 पैरा 2.1 एवं 2.2 पर सामाजिक न्याय मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन से जो पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति के बारे में बताता है लेकिन कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, से देखा जा सकता है। क्षतिपूर्ति का निर्धारण करना अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए न्यायालय पर छोड़ दिया गया है। जबकि अत्याचार निवारण नियमावली 1995 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है। अतः यह महसूस किया जाता है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय को यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि क्या पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बच्चों के विरूद्ध अपराधों के लिए क्षतिपूर्ति के निर्धारण की आवश्यकता है या इस राशि को न्यायालय के निर्णय पर छोड़ दिया जाए जैसा कि पॉस्को अधिनियम में प्रावधानिक है। तथापि यह भी महसूस किया जाता है कि पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत यथा उल्लिखित विभिन्न अपराधों के संबंध में अत्याचार निवारण नियमावली 1995 में यथा प्रावधानिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के विरूद्ध अपराधों के लिए क्षतिपूर्ति राशि को निर्धारित करना उचित होगा।

1.5 आयोग, अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 3(2) में यथा प्रस्तावित किए जाने वाले संशोधन की सिफारिश पर विचार कर सकता है। तत्पश्चात् जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए टिप्पणियां प्रेषित की जा सकती हैं।

1.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 की धारा 3 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (**POCSO**) अधिनियम 2012 (2012 की संख्या 32) में संशोधन पर अपनी अनुसशंसा व्यक्त की है। तथापि, उपरोक्त टिप्पणीयों पर भी विचार किया जा सकता है।

[The National Commission for Scheduled Castes agrees with the proposal for amendment in section 3 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) POA Act, 1989 and "The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 (No. 32 of 2012)]. However, the above comments may also be considered.

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 2	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जाने वाली भर्ती परीक्षाओं एवं भर्तीयों के लिए शुल्क ढ़ांचे में संशोधन के लिए प्रस्ताव।
Agenda Item No. 2	Proposal for revision in the fee structure for the examinations and recruitments conducted by the Union Public Service Commission (UPSC)

(Policy/2/ 2018/DoPT/ RU.II)

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं एवं भर्तीयों के लिए शुल्क ढांचे में संशोधन के लिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव पर इस आयोग की टिप्पणियां मांगी हैं।

2.1 यह कथन है कि निर्देशानुसार संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/दिव्यांग जनों/महिला अभ्यार्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट मिले। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों के लिए छूट को, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों की वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए एनसीएससी/एनसीएसटी की सिफारिश पर लागू किया गया था, बाद में 2009 में केंद्र सरकार की नौकरियों में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए महिला अभ्यर्थियों को भी छूट दी गई।

2.2 यह उल्लेख है कि अलग–अलग परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होते हुए देखा गया है और आयोगों द्वारा उत्तम इंतजाम और खर्चे प्रायः निष्फल हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति के लिए एक कारण प्रभारित की जा रहे वर्तमान शुल्क के निम्न स्तरों के कारण भी होती है और आवेदनकर्ताओं की विशाल संख्या छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आती है। पिछला संशोधन लगभग 10 वर्षों पूर्व किया गया था। आंशिक रूप से बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए यह महसूस किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रभारित किया जा रहा परीक्षा/भर्ती शुल्क का परिमाण की पुर्नसमीक्षा की जानी चाहिए।

2.3 उक्त दृष्टिकोण से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए हैं:

(i) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से प्रभावित किए जा रहे शुल्क को रूपए 100–200 से रूपए 400 तक संशोधित किया जाना, और

(ii) छूट प्राप्त श्रेणियों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जनों और महिलाओं से 25 प्रतिशत की दर से आवेदन/परीक्षा शुल्क लागू किया जाए।

2.4 उक्त सुझाव तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। अतः यदि आयोग सहमत होता है तो प्रस्ताव पर आयोग की सहमति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संसूचित की जा सकती है।

2.5 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं एवं भर्तीयों के लिए शुल्क ढ़ांचे में संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।

[National Commission for Scheduled Tribes agrees with the proposal of Union Public Service Commission (UPSC) for revision in the fee structure for the examinations and recruitments conducted by UPSC]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 3	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2016–17 का अंतिम प्रारूप विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए
Agenda Item No. 3	Final Draft of 12th Annual Report of National Commission for Scheduled Tribes for the year 2016-17 for consideration and approval.

(4/3/2017-Coord)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2016–17 के अंतिम प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है।

[National Commission for Scheduled Tribes has approved the draft of 12th Annual Report of National Commission for Scheduled Tribes for year 2016-17.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 4	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एन.सी.एस.के) में उपाध्यक्ष के रूप में सदस्य के एक पद का सृजन करने हेतु कैबिनेट के लिए ड्राफ्ट नोट
Agenda Item No. 4	Draft Note for the Cabinet for creation of one post of Member in National Commission for Safai Karamacharis (NCSK) as Vice-Chairperson.

(MoSJ&E/NCSK/1/2018/RU-II)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उपरोक्त विषय पर दिनांक 01.06.2018 का अपना पत्र सं. 17015/1/2017–आरआईसी भेजा है जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एन सी एस के) का कार्यकाल वर्तमान में 31.03.2019 तक है और इसमें अध्यक्ष का एक पद और सदस्यों के 4 पद है। आयोग का काम और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष के एक पद का सृजन करने की आवश्यकता है।

4.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उक्त उल्लिखित विषय पर विचार/टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए इस आयोग से अनुरोध किया है।

4.2 वर्तमान में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) हैं। यह प्रस्तावित है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष का एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाए। यदि प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है तो, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अपने संशोधित रूप में अध्यक्ष का एक पद, उपाध्यक्ष का एक पद और एक महिला सदस्य सहित सदस्य के चार पद होंगे।

4.3 इस संबंध में, यह इंगित किया जा सकता है कि दिनांक 30.09.2003 के भारत के राजपत्र में इस अधिनियम को संविधान (89 वां संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा गया है। भारत के राजपत्र के **अनुबंध I और II में (पृ.सं. 29–32/ग और 33–35/ग)** के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 338 में पैरा 2 (क) (ख) और (2) में अनुच्छेद 338 के बाद खंड (ग) (3) के लिए "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग" नामक उपान्त शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, 338क (1) के नाम से निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी प्रकार के कानून की शर्त के अधीन, आयोग में **अध्यक्ष, उपाध्यक्ष** और **तीन अन्य सदस्य** होंगे तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के कार्यालय में नियुक्ति व सेवा की शर्ते और कार्यकाल वैसा होगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे।

4.4 उपरोक्त के आधार पर, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष के रूप में सदस्य का एक पद सृजित करने के प्रस्ताव का हम समर्थन कर सकते हैं।

4.5 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयेाग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एन.सी.एस.के) में उपाध्यक्ष के रूप में सदस्य के एक पद का सृजन करने हेतु कैबिनेट नोट के ड्राफ्ट नोट को अनुमोदित किया है।

[National Commission for Scheduled Tribes has approved the cabinet note for creation of one post of member in National Commission for Safai Karamacharis (NCSK) as Vice-Chairman.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 5	केरल अंतरण पर प्रतिबंध एवं अनुसूचित जनजतियों को भूमि की पुनर्बहाली अधिनियम, 1999
Agenda Item No. 5	The Kerala restriction on transfer by and restoration of lands to Scheduled Tribes Act, 1999.

(Kerala/ Policy1/2018/RU-IV)

केरल अंतरण पर प्रतिबंध एवं अनुसूचित जनजातियों को भूमि की पुनर्बहाली अधिनियम 1999, 24.01.1986 से लागू हुआ। इसका विस्तार संपूर्ण केरल राज्य में है।

5.1 इस अधिनियम के उद्देश्य एवं कारण केरल अनुसूचित जनजाति (अंतरण पर प्रतिबंध एवं अंतरित जमीनों की पुनर्बहाली) अधिनियम 1975 (1975 का 31) था जो दिनांक 24 जनवरी, 1986 के केरल असाधारण राजपत्र संख्या 89 में एस.आर.ओ. संख्या 130/86 के रूप में दिनांक 20 जनवरी, 1986 की अधिसूचना जी. ओ (मै) सं. 51/86/आरडी के अनुसार जनवरी, 1982 के पहले दिन से प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप गैर–जनजातीय संक्रामण ग्राहियों से जनजातीय जमीनों के कब्जे की पुनर्बहाली के लिए राजस्व प्रभागीय अधिकारियों के समक्ष कई कार्रवाईयां लंबित पड़ी हुई है और जनजातीय जमीनों के वर्तमान कब्जाधारियों के निष्कासन के कारण कई आयामों में गंभीर सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यदि ऐसी जमीनों के वर्तमान कब्जाधारियों को निष्कासित किया जाता है तो उनमें से अधिकतर भूमिहीन हो जाएंगे तथा राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करेंगे। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के साथ–साथ संक्रामणग्रहियों के हितों के सुरक्षण के लिए केरल विधानसभा द्वारा 23 सितंबर, 1996 को केरल अनुसूचित जनजाति (अंतरण पर प्रतिबंध एवं अंतरित जमीनों की पुनर्बहाली) संशोधन विधेयक, 1996 को पारित किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया।

5.2 जनजातीय लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याएं केवल 01.01.1960 से 24.01.1986 के बीच अंतरित जमीनों की समस्या से संबंधित नहीं हैं। 11,000 से अधिक जनजातीय परिवार है जो भूमिहीन है। जनजातीय प्रतिनिधियों से चर्चाओं के बाद इस सच्चाई का तथ्य सामने आया कि उनमें से अधिकतर वर्तमान सामाजिक समरसता को प्रभावित नहीं होने देना चाहते और सामाजिक तनावों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं तथा अंतरित जमीनों को स्वीकार करते हुए इस मुद्दे को प्रेमपूर्वक निपटाना चाहते हैं। जिस जिले में वे निवास करते हैं उसी जिले में भूमिहीन जनजातीय परिवारों को प्रत्येक को 40 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध करवाने का भी आशय है। छोटे और हासियाकृत गैर–जनजातीय अंतरितियों की सुरक्षा और जनजातीय अंतरितकों को दो एकड़ से अधिक विस्तार तक भूमि को वापस वसूल कराने की तत्काल आवश्यकता है। जनजातीय अंतरणकर्ताओं को वैकल्पिक जमीन उपलब्ध करवाने के अलावा उन्हें मकान उपलब्ध करवाने एवं अन्य कल्याण उपाय करने की भी तत्काल आवश्यकता है। अधिनियम की एक प्रति संलग्न है।

5.3 कार्यसूची नोट कमीशन द्वारा सूचना एवं चर्चा के लिए है। केरल सरकार से एक स्थिति रिपोर्ट मांगने के लिए भी विचार किया जा सकता है।

5.4 यह जनजातियों के हित का महत्वपुर्ण विषय है जिस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने यह फैसला लिया है कि उपरोक्त विषय पर आयोग केरल सरकार के साथ विचार विमर्श करेगा और इस विषय पर केरल सरकार, आयोग में एक प्रेजंटेशन प्रस्तुत करेगा। उसके उपरांत आयोग पुरे देश में उक्त विषय के कार्यान्वयन करने के निर्णय लेगा।

[This is an important policy matter for the benefit of the Scheulded Tribes NCST decides to discuss this matter with the Govt. of Kerala and the Govt. of Kerala to give a presentation before the Commission on the issue thereafter the Commission will take a decision to implement the said issue in the whole country.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 6 **Agenda Item No. 6**	कर्नाटक राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में "नायका" के समानार्थी रूप में क्रम सं•38 में "परिवारा" और "तालावारा" नाम से समुदायों के समावेशन के लिए प्रस्ताव। Proposal for inclusion of communities namely 'Parivara and 'Talawara' at SL. No. 38 As synonyms of 'Nayaka' in the list of Scheduled Tribes of Karnataka State.

(MTA/1/2018/STGKN/ DEINEX/RU-IV)

यह कर्नाटक राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में 'नायका' के समानार्थी रूप में क्रम सं.38 में 'परिवारा' और 'तालाबारा' नाम से समुदायों के समावेशन के लिए प्रस्ताव के संबंध में हैं।

6.1 इस प्रस्ताव पर दिनांक 22.03.2018 को आयोजित आयोग की 103 वी: बैठक में कार्यसूची मद सं. 4 के अंतर्गत विचार किया गया था। आयोग ने मामले पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि आयोग ने कर्नाटक राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम सं.38 में 'नायका' जनजाति के सामानार्थी के रूप में 'परिवारा' और 'तालावारा' समुदायों के समावेशन के लिए सैद्धातिक रूप से प्रस्ताव का समर्थन किया। चूंकि राज्य सरकार के प्रस्ताव में 'तालावारा' (Talawara) के वर्तनी में विसंगति है और मंत्रालय के प्रस्ताव में '' तालावारा (Talawara)'', यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले कर्नाटक सरकार से एक स्पष्टीकरण मंगवाया जाए।

6.2 आयोग ने अपने दिनांक 23.03.2018 के पत्र द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा।

6.3 आयोग के दिनांक 23.03.2018 के पत्र के जवाब में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 28. 03.2018 और 17.04.2018 के पत्र द्वारा कर्नाटक राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में 'नायका' में समानार्थी के रूप में क्रम सं.38 में 'परिवारा' और 'तालावारा' नाम से समुदायों के समावेशन के लिए प्रस्ताव को स्पष्ट किया। संदर्भ की एक प्रति संलग्न है।

6.4 इसके अतिरिक्त, उक्त प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा आयोजित दिनांक 21.03.2018 की इनकी बैठक में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। इस प्रकार, मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियां भेजने हेतु अनुरोध किया।

6.5 इसके अलावा,यह प्रस्तुत किया गया कि अध्यक्ष, मायसा बेड़ा (मायसा नायक) जनजातीय संस्कृति संरक्षण समिति, चित्रदुर्गा जिला, और श्री टी.एस.रामचंद्रप्पा, बैंगलोर ने अपने दिनांक 27.03.2018 के अभ्यावेदन द्वारा, कर्नाटक राज्य के अनुसूचित जनजाती की सूची में क्रम सं. 38 में 'नायका' जनजाति के समनार्थी रूप में 'परिवारा' और 'तालावारा' समुदायों के समावेशन के लिए, यदि बिल अथवा नोट दिया गया है तो किसी भी प्रकार का अनुमोदन या किसी भी प्रकार के अनुमोदन को रद्द करने के लिए आयोग से अनुरोध किया है।

6.6 चूंकि प्रस्ताव पर विचार किया गया और यह देखते हुए निर्णय लिया गया कि आयोग सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव का समर्थन करता है और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार के जवाब के आधार पर 'तलवारा' (Talawara) के रूप में समुदाय के नाम को स्पष्ट किया है।

6.7 कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम सं. 38 पर 'नायका' जनजाति के समानार्थी रूप में 'परिवारा' और 'तलवारा' के समावेशन के लिए यदि विधेयक या नोट में कोई अनुमोदन दिया जाता है तो किसी अनुमोदन की अस्वीकृति या किसी अनुमोदन को रद्द करने की अपील के लिए संगठनों एवं व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में यथा अनुमोदित संशोधनों के तौर–तरीकों के अनुमोदनानुसार संबंधित मंत्रालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय को उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाए।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

तद्नुसार माननीय आयोग मामले पर विचार करें।

6.8 (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कर्नाटक राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में "नायका" के समानार्थी रूप में क्रम सं•38 में "परिवारा" और "तालावारा" नाम से समुदायों के समावेशन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है)।

[NCST approved the proposal of Govt. of Karnataka for inclusion of communities namely 'PARIWARA' and 'TALAWARA' at S.No.38 as synonymous of 'NAYAKA' in the list of Scheduled Tribes of Karnataka State.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 7	भारत का संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान अनुसूची के मूल्यांकन के लिए ईएफसी ज्ञापन।
Agenda Item No. 7	EFC Memorandum for Appraisal of Schedule 'Grant under Article 2785(1) of the Constitution of India

(Meeting/1/2018/MoTA (EFC)/RU-II)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदानों पर इस आयोग से टिप्पणीयां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान, अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न स्कीमों में हस्तक्षेप करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या और अन्यों के बीच दरार को पाटने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य रखता है:–

i. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाकर मानव संसाधन विकास करना।
ii. आवास, सम्पर्क सड़क, अंतिम मील तक संयोजकता, पेयजल, स्वच्छता सहित जनजातीय क्षेत्रों/स्थानों में आधारभुत सुख–सुविधाएं प्रदान करते हुए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना।
iii. गरीबी और बेरोजगारी में तात्विक कमी लाना, उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन एवं आय सृजित करने वाले अवसरों/कौशल विकास करना।
iv. अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता बढ़ाना, अधिकार व स्वत्व हासिल करना और अन्य क्षेत्रों के समान सुधारित सुविधाएं हासिल करना।
v. शोषण उत्पीड़न के विरूद्ध सुरक्षा करना।

7.2 यह महसूस किया गया कि उद्देश्य बहुत व्यापक हैं और जनजातीय विकास के विशिष्ट क्षेत्रों पर हर समय ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि जनजातियों के जीवन स्तर पर प्रत्यक्ष परिवर्तन किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न बैठकों एवं परिचर्चाओं में उल्लेख किया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जनजातीय लोगों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने तथा कौशल विकास करने पर ध्यान देना चाहिए। सभी जनजातीय बच्चों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए बगैर जनजातियों के जीवन–स्तर में बहुत अधिक सुधार करने की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कीमों के उद्देश्यों को सीमित करके मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जा सकती है।

7.3 यदि आयोग उपरोक्त टिप्पणियों से सहमत हुआ तो इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा जा सकता है।

7.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का यह अभिमत है कि जनजातीय बच्चों की उन्नति तथा कौशल विकास नितांत आवश्यक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय से इस स्कीमो के उददेश्यों को पुनः परिभाषित करने का अनुरोध किया तथा आयोग यह सिफारिश करता है कि इस स्कीम के अंर्तगत परियोजनाओं को चयन करने तथा कार्यान्वयन करते समय संबंधित ग्राम सभा से परामर्श किया जाए।

[NCST is of the view that the primary education is necessary for the upliftment of the tribal children and skill development. MoTA is requested to redefine the objectives of the Schemes and recommends that respective Gram Sabhas be consulted when choosing and implementing projects under this scheme.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 8	केंद्रीय विश्वविघालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय के दिनांक 7.4.2014 के निर्णय के विरूध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) तथा विश्वविघालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा एसएलपी से संबंधित मुद्दे
Agenda Item No. 8	Issue related to the SLP filed by MHRD and UGC before the Hon'ble Supreme Court of India against the judgement dated 7.4.2014 of High Court of Allahabad on the issue of implementation of reservation policy in Central Universities.

(DS/1/2018/MHRD2/MIMISC/RU-III)

पूर्व में, इस मुद्दे पर दिनांक 22.03.2018 को आयोजित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 103 वीं बैठक में विचार–विमर्श किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि एमएचआरडी को यूजीसी द्वारा जारी आरक्षण नीति परिपत्र की फिर से जांच करने के लिए कहा जाए तथा उचित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की जाए ताकि अनुसूचित जनजातियों को लाभ मिल सकें।

8.2 तत्पश्चात्, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध भारत के माननीय सर्वोच्चय न्यायलय के समक्ष एचआरडी तथा यूजीसी द्वारा दर्ज एसएलपी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने के लिए दिनांक 20.06.2018 को अध्यक्ष, यूजीसी के कक्ष में एक अंतर–मंत्रालयी समूह की बैठक आयोजित की गई।

8.3 आयोग की बैठक में इस मुद्दे पर दोबारा विचार–विमर्श किया जाना आवश्यक है। पहले सहायक प्रोफेसर इत्यादि के सभी पदों का (विषय से पृथक) समूहीकरण करते हुए विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए रोस्टर बनाए गए थे। लेकिन अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया था (और परिणामस्वरूप यूजीसी द्वारा परिपत्र जारी होने तक), विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के प्रत्येक विभाग को रोस्टर को तैयार करने के लिए एक इकाई के रूप में माना जाएगा जो अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों तथा आरक्षित पदों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति बिंदु, रोस्टर में 14 वें क्रम पर आता है और अधिकतर विभागों में बहुत कम स्वीकृत पद हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यद्यपि उन लोगों के लिए आरक्षण होगा परंतु यह बाद के चरण में आएगा।

8.4 मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए आयोग इस विषय पर विचार–विमर्श करते हुए अपने विचारों को अंतिम रूप दे सकता है।

8.5 चुंकि आरक्षण से संबंधित मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है। इसलिए इस संबंध मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से विचार ले सकता है और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक उपयुक्त एस.एल.पी दर्ज कर सकता है।

[Since matters relating to reservation is concerning DoPT, MHRD may take views of DoPT and file a suitable SLP in the Supreme Court to protect the interest of Scheduled Tribes Employees.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Additional Agenda
अतिरिक्त कार्यसूची

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं0 1 **Additional Agenda Item No. 1**	उत्तर कन्नड जिला के विद्यमान अनुसूचित जनजाति "सिद्धी" समुदाय के साथ कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में धारवाड और बेलागेवी जिले के सिद्धी समुदाय का समावेशन Inclusion of Siddi Community of Dharawad an belagevi District in the List of STs of Karnataka along with the existing Scheduled Tribe 'SIDDI' community of Uttara Kannada district.

(MTA/2/2018/STGKN/DEINEX/RU-IV)

यह उत्तर कन्नड़ जिला के विद्यमान अनुसूचित जनजाति 'सिद्धी' समुदाय के साथ कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में धारवाड़ और बेलागेवी जिले के सिद्धी समुदाय के समावेशन के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 21.03.2018 के पत्र में प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में है।

1.2 उक्त कथित प्रस्ताव पर आयोग में दिनांक 22.03.2018 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 103वीं बैठक में विचार किया गया था। आयोग का निर्णय निम्नानुसार है:–

"उक्त प्रस्ताव पर आयोग द्वारा विचार किया गया और पाया गया कि यह प्रस्ताव कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रम संख्या 50 पर सिद्धी समुदाय के क्षेत्र प्रतिबंध में वृद्धि से संबंधित है। यह निर्णय लिया गया कि आयोग को धारवाड़ और बेलागेवी जिलों में सिद्धी समुदाय के समावेशन का परीक्षण करने के लिए वास्तविकता/सत्यों को हासिल करने के लिए उस क्षेत्र का दौरा करना चाहिए और आयोग के समक्ष टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।"

1.3 आयोग के निर्णय के अनुसरण में दौरा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष फाईल प्रस्तुत की गई थी। तथापि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि दौरा कार्यक्रम को आयोग की अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। तदनुसार कर्नाटक राज्य के आयोग के दौरे को अंतिम रूप देने के लिए यह मामला माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत है।

1.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कर्नाटक राज्य का शीघ्र दौरा करेगा।

[NCST will visit Karnataka State to decide on the issue shortly.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं0 2 **Additional Agenda Item No. 2**	राजस्थान में जनजातीय लोगों की जमीन को गैर जनजातीय को अंतरण। Transfer of tribal land to non-tribal in Rajasthan.

आयोग ने उदयपुर से प्राप्त अभ्यावेदन पर 24.07.2018 को सीटिंग आयोजित की। मामला यह था कि उदयपुर में एक जनजातीय व्यक्ति ने एक गैर जनजातीय व्यक्ति को जनरल पॉवर एटार्नी दी जिसमें कृषि भूमि उपयोग को व्यावसायिक उपयोग में बदलने की शक्ति दी गई थी और उसके पश्चात जनरल पॉवर एटार्नी के नाम पर पंजीकरण हुआ। परिणामस्वरूप जनजातीय जमीन गैर जनजातीय को अंतरित हो गई और जनजातीय व्यक्ति को जमीन का बाजार मूल्य प्राप्त नहीं हुआ।

2.2 सीटिंग में यह पाया गया कि प्रतीत होता है कि ऐसा प्रावधान केवल राजस्थान राज्य में अस्तित्व में है जहां जनजातीय व्यक्ति जो कृषि भूमि का स्वामी है, को किसी गैर जनजातीय व्यक्ति को जनरल पॉवर एटार्नी देने के लिए वैध रूप से अनुमति है और जनरल पॉवर एटार्नी धारक को भूमि उपयोग को कृषि से व्यावसायिक या आवासीय में परिवर्तित करने और तत्पश्चात् गैर जनजातीय व्यक्तियों को विक्रय करने की शक्ति है। यह सूचित किया जाता है कि यह प्रावधान जनजातीय लोगों को उनकी जमीन के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त करना सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। तथापि, यह महसूस किया जाता है कि इस प्रावधान का बिचौलिए और जनरल पॉवर एटार्नी धारक द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है जो अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं और जनजातीय व्यक्ति को उनकी जमीन का न्यूनतम मूल्य प्राप्त होता है। इस प्रावधान के कारण जनजातीय जमीन, जनजातीय लोगों को भूमि का बाजार मूल्य प्राप्त किए बिना अंतरित हो जाती है।

2.3 राजस्थान में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग इस मामले पर बैठक में चर्चा करना चाहेगा और राजस्थान सरकार को जनजातीय भूमि का गैर जनजातीय लोगों को इस प्रकार अंतरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सिफारिश करेगा।

2.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अयोग इस प्रस्ताव सहमत नहीं होता है कि जमीन को गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को वकालत नामा के आधार पर अतरण किया जा सकता है। इस संबंध में गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जमीन को विक्रय करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति पहले ली जानी अनिवार्य है।

(NCST does not agree with the proposal that the land can be transferred on the basis of power of attorney to non-SC/ST person. In this regard prior permission of the State Government should necessarily be taken, before sale of the land of SC/ST to non SC/ST person).

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं0 3 **Additional Agenda Item No. 3**	जमीन के संबध में मीटिस की आंशकाओं एवं मणिपुर के पहाडी जिलों में स्वायत्त जिला परिषदों के कार्यकरण पर कार्यसूची नोट। Agenda note on apprehensions of meiteis with regard to land and functioning of autonomous district councils in the Hill Districts of Manipur.

मंत्रीमंडल सचिवालय में संयुक्त आसूचना समिति ने दिनांक 20 जुलाई, 2018 के अपने अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा जमीन के स्वामित्व की स्थिति पर मीटिस की आंशकाओं पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियां/विचार मांगे हैं। मणिपुर के मीटिस, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है, जनजातीय लोगों और देश के अन्य भागों के लोगों को उनकी जमीन के अप्रतिबंधित विक्रय के कारण चिंतित है। अपनी जमीन की रक्षा के लिए मीटिस सुझाव दे रहे हैं कि घाटी क्षेत्र को संविधान की छठीं अनुसूची के अंतर्गत एक पृथक स्वायत्त जिला परिषद उपलब्ध करवाई जाए।

3.2 उक्त कार्यसूची नोट से देखा जा सकता है कि मणिपुर का मीटिस समुदाय अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है और इस प्रकार छठीं अनुसूची के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं। साथ ही स्वायत्त जिला परिषद का प्रस्ताव किसी भी प्रकार से मणिपुर में अनुसूचित जनजातियों की सहायता नहीं करने जा रहा है।

1. यदि अनुमोदन हुआ तो मंत्रिमंडल सचिवालय को सूचित किया जा सकता है कि आयोग, दिनांक 20.07.2018 के अर्द्धशासकीय नोट में प्रस्तावित व्यवस्था/तंत्र में कोई गुण नहीं देखता है। यह प्रस्ताव कुछ क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों की स्थिति या दशा में कोई सुधार नहीं करता है। अतः आयोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं।

3.3 आयोग दिनांक 20.7.2018 के यु.ओ. नोट में प्रस्तावित प्रंबध/कियाविधि में कोई भी लाभ नहीं पाता है क्योकि प्रस्ताव उस क्षेत्र में रहने वाले अनुसूसचित जनजातियों की स्थिति या अवस्थाओं में कोई भी उत्थान नहीं लाता है।

(The Commission does not see any merit in the arrangement/mechanism proposed in the U.O. Note dated 20.07.2018 as the proposal does not enhance the status or conditions of Scheudled Tribes living in that area.)

नन्द कुमार साँय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं0 4	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सलाहाकार बोर्ड का गठन
Additional Agenda Item No. 4	Agenda note on setting up of National Commission for Scheduled Tribes Advisory Board.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसे संविधान या किसी अन्य कानून या सरकार के आदेश में उपलब्ध कराए गए अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों के सुरक्षण के लिए अधिदेश दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया पर संघ एवं राज्य सरकारों के साथ सहभागिता करने और सलाह देने के लिए भी अधिदेश दिया गया है।

4.2 पिछले 15 वर्षों से भी अधिक समय का आयोग का अनुभव दर्शाता है कि इसके समक्ष लाए गए मुद्दों के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण विश्लेषण/परीक्षण तथा सलाह की आवश्यकता होती है। भूमि से संबंधित मुद्दे अलग–अलग राज्यों में भिन्न होते हैं। इसी प्रकार आयोग को अत्याचारों, वन अधिकारों, जाति प्रमाणपत्रों, सेवा सुरक्षणों जैसे आरक्षण सहित सामाजिक मुद्दों और जनजातीय संस्कृति एवं धरोहर से संबंधित मुद्दों से संबंधित मामलों का निपटान करने में विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता होती है।

4.3 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विषय के विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में सरकार को, अपनी विचारित राय/सलाह/टिप्पणियां देने में, आयोग अपने आपको पंगु पाता है। अतः यह प्रस्तावित है कि आयोग, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जटिल मुद्दों पर सलाह देने के लिए अपने सलाहकार बोर्ड का गठन करे। तद्अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति सलाहकार बोर्ड के गठन पर एक कार्यसूची नोट तैयार किया गया है और आयोग के विचारण के लिए नीचे रखा गया है।

4.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सलाहकार बोर्ड गठित करने पर अपनी सहमति व्यक्त करता हैं ताकि अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए प्रख्यात व्यक्ति अपने सुझाव/सिफारिशे दे। सचिव इस विषय पर विशेषज्ञों के नाम प्रस्तुत करे।

(NCST agrees to constitute NCST Advisory Board comprising of experts to give their suggestions/recommendation for the upliftment of the ST community. Secretary to put up suitable names of experts.)

(नन्द कुमार साय)
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
नई दिल्ली

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi